

अपीलाय अर्थात् नए सिमा रकारवादी क्षेत्राम

वास्तविकता यह है कि १९९६ साल तक इन युगल युगल  
करों

5-10-18

इससे अपीलकर्ता को उपरोक्त, विपरीत को न उपरोक्त  
अपीलाय अर्थात् सिमा 09/1/15 से लागू कर उपरोक्त  
कर (दो) तक लागू है कि अपीलकर्ता की  
राशि इस वाद में ही है। अतः अतः  
अतः अपील वाद की कार्यवाही नगरी  
की जाती है 09/10/18

समाहर्ता-सह-विलक्षणधिकारी  
वेगुसराय